



## सूचना

दिनांक 03.04.2025

पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं।  
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

कौन आवेदन दे सकता है:-

ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरुष जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं इनमें शिक्षक (सेवा निवृत्त शिक्षक सहित), सेवा निवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति (विद्वान अधिवक्ता को छोड़कर) जो स्वयं सेवा में रुचि रखते हो तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार ठीक समझे। पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक भी पुनः आवेदन दे सकते हैं।

पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए भीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय द्वारा सौंपा जाए को करना है।

पदों की संख्या:-

100 (एक सौ)। चूंकि पारा विधिक स्वयं सेवकों से गाँवों या गाँवों के समूह में कार्य लेना है। अतः जिले के सभी क्षेत्रों से पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जायगा। आवेदक अपने-अपने प्रखण्ड से ही आवेदन करेंगे।

आरक्षण:-

पारा विधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है। परन्तु नालसा स्कीम के अनुरूप सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। यह प्रतिनियुक्ति एक वर्ष के लिये है।

शैक्षणिक योग्यता:- मैट्रिक पास

आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं के प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति लगाकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के कार्यालय हाथों-हाथ या पंजीकृत डाक से दिनांक 04/05/2025 तक भेजें। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर को विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन के साथ पच्चीस रुपये का डाक टिकट लगा, स्वपता लिखा लिफा अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

मानदेय:-

रु० 500/(पाँच सौ रूपया) प्रत्येक कार्यदिवस, परन्तु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के भुगतान होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपती है या अपने क्षेत्र विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

सामान्य अनुदेश।

- (1) आवेदक भारत का नागरिक हो,
- (2) शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो,
- (3) अच्छा चरित्र का हो, तथा समाज सेवा में रुचि रखता हो,
- (4) आवेदक के उपर कोई फौजदारी मुकदमा ना हो।

आवेदन भेजने का पता:-

सचिव  
कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार  
जयन्त न्यायालय, कैमूर, भगुआ  
पिन कोड- 821101

सम्पर्क संख्या- 06189-2956  
अंतिम तिथि 04/05/2025



आवेदन - प्रपत्र

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन पत्र

यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है

- 1 आवेदित पद:- पारा विधिक स्वयं सेवक / अधिकार मित्र
- 2 आवेदक का नाम:- .....
- 3 पिता / पति का नाम:- .....
- 4 माता का नाम:- .....
- 5 स्थायी पता:- ग्राम-.....थाना.....पोस्ट.....  
प्रखण्ड.....जिला.....पिन कोड.....
- 6 वर्तमान पता:- ग्राम-.....थाना.....पोस्ट.....  
प्रखण्ड.....जिला.....पिन कोड.....
- 7 शैक्षणिक योग्यता:- .....
- 8 अन्य योग्यता / अनुभव:- .....
- 9 जन्म तिथि:- .....
- 10 सम्पर्क संख्या / मोबाईल नं०:-.....ई-मेल आई.डी.....
- 11 आवेदक की श्रेणी:- .....

पासपोर्ट साईज  
का छायाचित्र  
स्वअभिप्रेमाणित

(सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा)

तिथि:- .....

स्थान:- .....

आवेदक का हस्ताक्षर